धौलपुर (राज0)

17.02.2025 वकील आपत्ति उपरा वकील आपत्ति को सुनाया वकील आपत्ति को सुने एवं पत्रावली का अवलोकन करते उपरान्त केस व सुविधा का संतुलन आपत्ति के पक्ष में स्पष्ट होता है। अतः दिनांक 06/8/18 को जारी अन्तरिम स्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक पुष्ट किया जाता है। पत्रावली पेस्टल शुमार होकर नम्बर से एक दो मूलवाद की पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)